

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स
-------------	--------------------------------

पर वाडीगण का कब्जा कायम नहीं है,
 प्रतिवाडीगण का कब्जा कायम है।
 प्रकरण नं. 188 आर.टी. एक्ट का है,
 जो ^{बिना} कब्जा के चलने में मंजूर है, यह
 किरदार बिक्राने में मंजूर है।
 रहसिलदार एजेंटों की
 रिपोर्ट एवं पत्रावली का अपलौकन किया
 गया। गावली में संलग्न अनाखंडी काम
 सिधिर संवा. 2067-70 विवादित आरक्षण
 वाडीगण की खातेदारी की रूम लिखा है,
 किन्तु विवादित आरक्षण पर प्रतिवाडीगण
 का कब्जा है। कब्जे के आरक्षण में
 नं. 188 आर.टी. एक्ट का बंद पत्र
 चल नहीं सकता है।

अतः, इस वाडीगण कब्जे
 के आरक्षण में लाइन किया गया है।
 सिधिर सी केम्प कोर्ट में पुनर्प्राप्त
 पत्रावली केवल सुनार के लिए नकल
 है कमाठी।

Piy